न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।
उपस्थितः विनोद सिंह रावत, (उच्चतर न्यायिक सेवा)
J.O. Code – UP1893

आपराधिक निगरानी संख्या–365/2026
कंप्यूटर रजि०सं०–365/2026
CNR NoUPGZ010062012026

वसीम उम्र करीब 27 वर्ष पुत्र यासीन होली चौक उबारपुर पोस्ट उबारपुर, थाना हाफिजपुर जिला हापुड़, उ०प्र०।

–प्रार्थी/निगरानीकर्ता

बनाम

उ०प्र०सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) जिला गाजियाबाद।

–विपक्षी/उत्तरदाता

.....

दिनांकः23–07–2026

निर्णय

1– प्रस्तुत आपराधिक निगरानी, निगरानीकर्ता की ओर से न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गाजियाबाद द्वारा मु०अ०सं० 124/2026 अंतर्गत धारा–3,3(a),3(b),5(2), 4(4), 6(b),6(c),18(1),23,25,29PCPNDT व धारा–3(5),318(4),319BNS व धारा–34NMC Act थाना विजयनगर में पारित आदेश दिनांक 01–05–2026 के विरूद्ध योजित की गयी है। उक्त आदेश के माध्यम से विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदक/निगरानीकर्ता की ओर से सम्बंधित थाने पर दाखिल वाहन पंजीयन सं० UP37R7344 को अपने पक्ष में अवमुक्त किए जाने सम्बंधी प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है।

2– संक्षेप में तथ्य यह है कि प्रार्थी/पंजीकृत स्वामी वसीम की ओर से दिनांक 10–04–2026 को परीक्षण न्यायालय के समक्ष वाहन संख्या–UP37R7344 इंजन सं० K10CNC023627, चेसिस नं० MA3TFC62SNA22940 मारूति सैलेरियो LXI व मोबाईल Nothing A2 को अपने पक्ष में अवमुक्त किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी उक्त वाहन व मोबाईल का पंजीकृत स्वामी है। प्रार्थी की उपरोक्त गाड़ी एवं फोन थाना हाजा पर बंद है। थाना हाजा से रिपोर्ट मंगायी जाकर प्रार्थी के पक्ष में उक्त वाहन को रिलीज किया जाना अत्यावश्यक है। अतः प्रश्नगत वाहन एवं मोबाईल को प्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के पक्ष में अवमुक्त किए जाने की याचना की गयी। उक्त प्रार्थना पत्र को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गाजियाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–05–2026 के माध्यम से निरस्त कर दिया गया, जिससे क्षुब्ध होकर प्रस्तुत आपराधिक निगरानी, निगरानीकर्ता द्वारा दाखिल की गयी है।

Digitally signed by Vinod Singh Rawat
Date: 2026.07.24 12:31:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

3– निगरानीकर्ता की ओर से अपने आधार निगरानी एवं तर्क में यह कहा गया है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा आलोचित आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत पारित किया गया है तथा परीक्षण न्यायालय द्वारा आलोचित आदेश पारित करते समय पत्रावली पर दाखिल गृहणीय साक्ष्यों को गृहण न करके अगृहणीय साक्ष्यों को ग्रहण करके उक्त आदेश पारित किया गया है। परीक्षण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करते समय अपने न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग न करके मनमाने रूप से आदेश पारित किया है। निगरानीकर्ता तथाकथित वाहन का पंजीकृत स्वामी है तथा एक मोबाईल Nothing का मालिक है। निगरानीकर्ता का वाहन उक्त मुकदमे में थाना विजयनगर की पुलिस द्वारा दिनांक 10–03–2026 को मु०अ०सं० 124/2026 अंतर्गत धारा–3,3(a), 3(b),5(2),4(4),6(b),6(c),18(1),23,25,29PCPNDT व धारा–3(5),318(4), 319BNS व धारा–34NMC Act थाना विजयनगर में बंद किया जाकर थाने पर खड़ा है, जिसका थाने पर खड़े रहने से नष्ट होने की संभावना है। अग्रेतर यह कहा गया कि निगरानीकर्ता द्वारा परीक्षण न्यायालय में अपने उक्त वाहन रिलीज़ व मोबाईल फोन की सुपुर्दगी हेतु एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें परीक्षण न्यायालय द्वारा थाना हाजा से रिपोर्ट मंगायी गयी। तत्पश्चात् मुख्य चिकित्साधिकारी से रिपोर्ट मांगी गयी थी, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 27–04–2026 में निगरानीकर्ता पर कई मुकदमे बताकर रिपोर्ट प्रेषित की गयी है, जो पूर्णतः गलत है। निगरानीकर्ता के विरूद्ध पूर्व में कोई अपराध/मुकदमा पंजीकृत नहीं है। निगरानीकर्ता को उक्त मुकदमे में झूठा फंसाया गया है तथा जो भी बरामदगी दिखायी गयी है, वह पूर्णतः फर्जी है। यह भी तर्क किया गया कि निगरानीकर्ता अपनी उक्त गाड़ी को ऋण पर लेकर चला रहा है, जिसकी किश्तों का भुगतान मय ब्याज निगरानीकर्ता कर रहा है जिससे उसे आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है। निगरानीकर्ता न्यायालय की संतुष्टि हेतु माकूल जमानत एवं अंडरटेकिंग भी देने को तैयार है। उक्त वाहन के जब्तीकरण की कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी को स्वीकार की जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आलोचित आदेश दिनांक 01–05–2026 अपास्त किए जाने की याचना की गयी है।

4– विपक्षी की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अपने तर्क में कहा गया कि विद्वान परीक्षण न्यायालय के द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधिसम्मत है एवं उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह भी तर्क किया गया कि तथाकथित वाहन का प्रयोग कथित अपराध से सम्बंधित पोर्टेबिल अल्ट्रासाउंड मशीन को निगरानीकर्ता द्वारा घटनास्थल पर ले जाकर अवैध रूप से लिंग परीक्षण का कार्य किया गया है। अतः निगरानी निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

5– निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना गया एवं आक्षेपित आदेश दिनांक 01–05–2026 का अवलोकन किया गया।

6– निगरानीकर्ता की ओर से इस न्यायालय के समक्ष मुख्यतः यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि निगरानीकर्ता कथित वाहन को ऋण पर लेकर चला रहा है, जिसकी किश्तों का भुगतान मय ब्याज निगरानीकर्ता कर रहा है तथा निगरानीकर्ता उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है, जो थाना हाजा पर दिनांक 10–03–2026 से खड़ा है। यह भी कहा गया कि उक्त वाहन थाने पर खड़े रहने से

पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा जिससे निगरानीकर्ता को अपार हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं होगी। यह भी कहा गया कि निगरानीकर्ता न्यायालय की संतुष्टि पर उचित जमानत देने एवं अंडरटेकिंग देने को भी तैयार है।

7– मूल पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान प्रकरण से सम्बंधित प्रश्नगत वाहन सलेरियो गाड़ी संख्या–UP37R7344 का प्रयोग कथित अपराध से सम्बंधित पोर्टेबिल अल्ट्रासांउड मशीन को निगरानीकर्ता/अभियुक्त द्वारा घटनास्थल पर ले जाकर अवैध रूप से लिंग परीक्षण का कार्य किए जाने में बताया गया है। उक्त गाड़ी को निगरानीकर्ता/पंजीकृत स्वामी द्वारा अपने पक्ष में अवमुक्त किए जाने हेतु परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे सम्बंधित न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया। आक्षेपित आदेश में यह उल्लिखित है कि विद्वान अभियोजन अधिकारी व मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद द्वारा उक्त वाहन को कथित अपराध में प्रयुक्त होने, मामले में विवेचना प्रचलित होना बताते हुए उक्त वाहन को अवमुक्त किए जाने पर विवेचना प्रभावित होने की संभावना व्यक्त करते हुए वाहन अवमुक्त का विरोध किया गया है। अग्रेतर आदेश में यह वर्णित है कि उक्त वाहन के सम्बंध में साक्ष्य संकलन की कार्यवाही/विवेचना प्रचलित है। यदि इस स्तर पर वाहन को अवमुक्त किया जाता है तो प्रकरण के साक्ष्य/विवेचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना के दृष्टिगत् वाहन रिलीज प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है।

8– निगरानीकर्ता की ओर से परीक्षण न्यायालय द्वारा सम्बंधित थाना विजयनगर से आहूत आख्या की सत्य प्रति निगरानी के साथ संलग्न की गयी है, जिसमें यह उल्लेख है कि मु०अ०सं० 124/26 धारा–3,3(a),3(b),5(2),4(4),6(b),6(c), 18(1),23,25,29 PCPNDT व धारा–3(5),318(4),319BNS व धारा–34NMC Act से सम्बंधित कार सलेरियो रजि० नं० UP37R–7344 व एक मोबाईल फोन Nothing 2A IMEI No.354484701689 307 एवं 354484701689315 थाना हाजा पर दाखिल है।

9– निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय **सर्वोच्च न्यायालय** के सुंदरभाई *अंबालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य, 2003(1)ALD(Crl.)8(SC)=(2002)10SCC 283* के निर्णय पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में यह अवधारित किया गया है कि जब्त वाहनों को पुलिस थानों में अनावश्यक रूप से लंबे समय तक नहीं रखा जाना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने द०प्र०सं० की धारा–451 व 457 के तहत जब्त वाहनों की तुरंत अंतरिम रिहाई(सुरक्षा/बांड) का निर्देश दिया तथा वाहन मालिक को वाहन सौंपते समय न्यायालय को (सुरक्षा/बांड) की शर्तें तय करनी चाहिए जिससे वाहन को सुरक्षित रखने और जरूरत पड़ने पर पेश करने का वचन शामिल हो।

10– उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा Neutral Citation No.2025:AHC:19922, क्रिमिनल रिवीजन सं० 17/2025 कारी बनाम उ०प्र०राज्य व अन्य में यह पाया गया कि विचाराधीन वाहन याचिकाकर्ता व उसके परिवार के सदस्यों की आजीविका का स्रोत है तथा वाहन मालिक को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्था, जिसमें गौवध अधिनियम से सम्बंधित मामले में तथाकथित ट्रक को पुनरीक्षणकर्ता के पक्ष में मुक्त कराने हेतु प्रस्तुत किया गया था के संदर्भ में माननीय न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि वाहन को अनिश्चितकाल के

लिए जब्त नहीं किया जा सकता है तथा यदि वाहन स्वामी उक्त वाहन अवमुक्त कराने के लिए उचित बांड व जमानत दाखिल करने को तैयार है, तो वाहन को अवमुक्त किए जाने की अनुमति दिए जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है। यहाँ यह उल्लेख किया जाना भी उचित होगा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा द्वारा पारित निर्णय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि उक्त वाहन की नीलामी हो चुकी है तो उक्त आदेश का लाभ याचिकाकर्ता को नहीं मिलेगा।

11– यहाँ यह उल्लेखनीय है कि निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क किया गया है कि निगरानीकर्ता प्रश्नगत वाहन को ऋण पर लेकर चला रहा है, जिसकी किश्तें का भुगतान मय ब्याज निगरानीकर्ता कर रहा है तथा उक्त वाहन थाने पर खड़े रहने से पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा जिससे निगरानीकर्ता को अपार हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं हो सकेगी। निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से न्यायालय के समक्ष यह भी तर्क किया गया कि यदि निगरानीकर्ता का वाहन एवं मोबाईल उसकी सुपुर्दगी में दिया जाता है तो निगरानीकर्ता न्यायालय की संतुष्टि हेतु उचित जमानत एवं अंडरटेकिंग भी देने को तैयार है। यह भी कहा गया है कि निगरानीकर्ता की जमानत प्रश्नगत प्रकरण में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं० 7 गाजियाबाद द्वारा स्वीकार की जा चुकी है तथा उक्त वाहन के विरूद्ध अभी तक जब्तीकरण की कार्यवाही नहीं की गयी है।

12– अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त वर्णित विधि व्यवस्था में दिए गए निष्कर्षों को विचार में लेने के उपरांत आक्षेपित आदेश दिनांक 01–05–2026 निरस्त किए जाने योग्य है एवं यह दाण्डिक निगरानी स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

यह दाण्डिक निगरानी स्वीकार की जाती है। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 01–05–2026 निरस्त किया जाता है। विद्वान मजिस्ट्रेट को यह निर्देशित किया जाता है कि वे पुनः निगरानीकर्ता एवं अभियोजन पक्ष को सुनकर वाहन/मोबाईल रिलीज़ प्रार्थना पत्र के संदर्भ में यथोचित आदेश पारित करें।

(विनोद सिंह रावत)
सत्र न्यायाधीश
दिनांक 23.07.2026 गाजियाबाद।

निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

(विनोद सिंह रावत)
सत्र न्यायाधीश
दिनांक 23.07.2026 गाजियाबाद।